


# कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

लखनऊ:दिनांक: ०२.०७. 2019

## आवश्यक सूचना

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों को उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 मे निहित प्राविधानों के अनुसार संस्था की फीस निर्धारण किये जाने का अधिकार प्राप्त है। अतएव अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क संबंधी विवरण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं मे प्रवेश के इच्छुक संस्थाओं की वेबसाइट एवं संस्था से स्वयं जानकारी प्राप्त कर ही च्वाइस फ़िल फ़ार।



महानिदेशक